

प्रपत्र- 2.5

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग के किमी 0 16 तुडतुडिया के पास ओलिंग होते हुए भैरु, ओखलधार तक 6.00 किमी 0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वनभूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 2.680 हे० वनभूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वनभूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

ह0/-
प्रयोक्ता एजेन्सी

वन विभागाध्यक्ष
कपकोट वन अंचल
बागेश्वर उप विभाग

ह0/-
प्रभागीय वनाधिकारी

वन विभागाध्यक्ष
कपकोट वन अंचल
बागेश्वर उप विभाग

ह0/-
जिलाधिकारी
बागेश्वर

नोट:- यह सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी व जिलाधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

प्रपत्र- 2.6

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग के किमी० 16 तुडतुडिया के पास ओलिंग होते हुए भैरु, ओखलधार तक 6.00 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

**लैन्ड शेड्यूल
(आरक्षित वनभूमि)**

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लॉक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे०)
बागेश्वर	बागेश्वर	कपकोट	पुंगरु न० 92	175 मी	7 मी	0.122 हे०

ह०/- 
सहायक अभियन्ता
निर्माण, एजेन्सी
कपकोट





सहायक अभियन्ता
निर्माण, एजेन्सी
कपकोट

ह०/- 
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

नोट:- यह सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी है।


प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर


सहायक अभियन्ता
निर्माण, एजेन्सी
कपकोट


तहसीलदार
कपकोट

Sub Divisional Magistrate
Kapkote (Bageshwar)

प्रपत्र- 2.6

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग के किमी 0 16 तुडतुडिया के पास ओलिंग होते हुए भैरु, ओखलधार तक 6.00 किमी 0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लैन्ड शैड्यूल

सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नामभूमि का लैन्ड शैड्यूल के लिये (राजस्व विभाग/जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र)

जिला	तहसील का नाम	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकवा	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (है०)
बागेश्वर	कपकोट	कपकोट	व० पंचायत सिविल 10	5.510 1.931	1675 मी 1980 मी	7 मी 7 मी	1.172 1.386

(कुल)

2.558 है०

हो/-
प्रयोक्ता एजेन्सी

सहायक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

हो/-

जिलाधिकारी बागेश्वर

उप निरीक्षक
गोलना, त०-कपकोट
जिला- बागेश्वर

उप निरीक्षक
गोलना, त०-कपकोट
जिला- बागेश्वर

Sub Divisional Magistrate
कपकोट (Bageshwar)

नोट:- उक्त सूचना राजस्व विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी है, जिसे प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है। प्रत्येक श्रेणी की भूमि का अलग-अलग प्रपत्र भरा जाना है।

उप निरीक्षक
गोलना, त०-कपकोट
जिला- बागेश्वर

उप निरीक्षक
गोलना, त०-कपकोट
जिला- बागेश्वर

मौफा खालरा ग्राम पंचायत क्षेत्र गोलना लहसाल फलफूल जिला चामोखार,

खेत नं०	अकाला	अकाला नं०	अकालेश्वर का नाम	विवरण
2041	4.39	37	गौचर	महोदय, गौचर का नाम अकाला सं० 37, 38, 40 वन विभाग में मर्ग हेतु अकालेश्वर भूमि 1:172 लिखा गया है। अकालेश्वर सं० 1:172 है
2043	0.27	37	दे०	
2721	0.81	37	दे०	
30	0.151	38	अ.का. अ.का.	
111	0.80	38	दे०	
152	0.345	38	दे०	
143	0.101	38	दे०	
191	0.346	38	दे०	
224	0.340	38	दे०	
योग- 9	5.510	—	—	
306	0.035	38	अ.का. अ.का.	महोदय, अकालेश्वर भूमि से 1:386 है मर्ग मार्ग हेतु लिखा गया है। अकालेश्वर सं० 1:386 है
304	0.000	40		
2022	0.480	40		
2044	0.210	40		
2132	0.221	40		
2199	0.210	40		
2923	0.213	40		
2065	0.173	40		
2865	0.188	40		
2897	0.153	40		
योग- 10	1.931	—	—	
				महोदय, लेखा विभाग, राजस्थान जिला चामोखार दिनांक 16

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग के किमी० 16 तुडतुडिया के पास ओलिंग होते हुए भैरु, ओखलधार तक 6.00 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग के किमी० 16 तुडतुडिया के पास ओलिंग होते हुए भैरु, ओखलधार तक 6.00 किमी० मोटर मार्ग का नव निर्माण के स्थल निरीक्षण कर पाया गया कि प्रस्तावित संरक्षण पर वृक्ष खड़े मौजूद हैं जिनकी गणना प्रस्ताव विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त निरीक्षण निरीक्षण के समय की जा चुकी है। अतः शा०सं० 866/x-3/2011/8(21)/2010 दिनांक 28.09.2011 तथा 883/x-3/2011/8(21) /2010 दिनांक 04.01.2011 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार उपरोक्त सिविल सोयम भूमि, वन पंचायती भूमि एवं आरक्षित भूमि राजस्व अभिलेखों श्रेणी ~~.....~~ भूमि में दर्ज कागजात है। एवं वनभूमि में वृक्ष खड़े होने एवं वृक्षों का स्वरूप वन होने के कारण इस प्रस्तावित सिविल भूमि का भूमि हस्तान्तरण नियमानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवश्यक है।

अतः याचक विभाग प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव वन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु तैयार किया जा रहा है।


जिला निरीक्षक
मौलना, तह-कपकोट
जिला- बागेश्वर


Sub-Divisional Magistrate
Kopkote (Bageshwar)

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग के किमी 0 16 तुडतुडिया के पास ओलिंग होते हुए भैरु, ओखलधार तक 6.00 किमी 0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का विवरण

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (हे० में)	
1	आरक्षित वनभूमि	175	7.00	0.122	
2	सिविल सोयम भूमि	1980	7.00	1.386	
3	वन पंचायत भूमि	1675	7.00	1.172	
	अन्य श्रेणी की वनभूमि (यदि लागू हो)	-	-	-	
	वनभूमि का योग:-	3830	7.00	2.680	
4	नाप भूमि	2170	7.00	1.519	
	कुल योग:-	6000	7.00	4.199	

नोट:- मोटर मार्ग निर्माण हेतु 7.00 मी० चौड़ाई में भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु कुल 5 डम्पिंग जोन जिनकी चौड़ाई 1.50 मी० है तथा प्रतिधारक दीवार जिसकी ऊचाई 2.00 से 3.00 मी० के बीच है प्रस्तावित किये गये हैं। मार्ग निर्माण 6.00 मी० चौड़ाई में किया जायेगा तथा इसके पश्चात खड्ड साईड में स्थित 1.00 मी० चौड़ाई के डम्पिंग जोन में मलवा निस्तारण किया जायेगा। इस प्रकार समस्त 08 डम्पिंग जोन में 6.00 मी० मार्ग निर्माण एवं खड्ड साईड में 1.00 मी० कुल 7.00 मी० चौड़ाई में भूमि प्रभावित होगी तथा मलवा निस्तारण स्थल का क्षेत्रफल भूमि हस्तान्तरण हेतु 7.00 मी० चौड़ाई में सम्मिलित है।


उप निरीक्षक
गोलना, त०-कपकोट
जिला- बागेश्वर


सहायक अभियन्ता
निर्माण विभाग त०- कपकोट
बागेश्वर

ह०/- अधिकारी अधिकृत
विभाग कपकोट त०- कपकोट
प्रयोक्ता एजेंसी


उप प्रशासक, कपकोट
बागेश्वर


वन विभागाध्यक्ष
कपकोट वन भेड
बागेश्वर त०- कपकोट
(कलकत्ता-बागेश्वर)


District Engineer
Kaptai (Bageshwar)


तहसीलदार
तहसील कपकोट

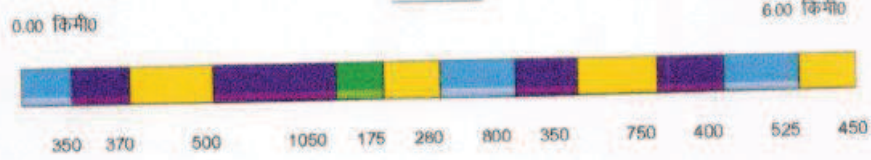

जिलाधिकारी
बागेश्वर


अधीनस्थ वनाधिकारी
बागेश्वर त०- कपकोट
बागेश्वर

प्रपत्र- 2.8

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग के किमी० 16 तुडतुडिया के पास ओलिंग होते हुए भैरु, ओखलधार तक 6.00 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

बारचार्ट



सिविल सोयम भूमि- 1980 मी०
वन पंचायत भूमि - 1675 मी०
आरक्षित भूमि- 175 मी०
नापभूमि - 2170 मी०

भूमि की श्रेणी	रंग	क्षेत्रफल (हे० में)
आरक्षित वनभूमि	हरा	
सिविल एवं सोयम वनभूमि	पीला	
वन पंचायत भूमि	नीला	
नापभूमि	अन्य रंग	

ह०/- **प्रभागीय वनाधिकारी**
बागेश्वर एवं प्रभाव
प्रभागीय वनाधिकारी

जिलाधिकारी
बागेश्वर

ह०/- **अतिरिक्त अधिवक्ता**
निर्माण एवं लो० वि० विभाग
प्रयोक्ता एजेन्सी

सहायक अधिवक्ता
निर्माण खण्ड लो० वि० वि०
कपकोट

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

उप निरीक्षक
कपकोट वन प्रभाग
बागेश्वर

वन अधीक्षक
कपकोट वन प्रभाग
बागेश्वर एवं प्रभाव
(हस्ताक्षर)

Sub Divisional Magistrate
कपकोट (Lagesuwar)

नोट:- उक्त सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

प्रपत्र- 2.10

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 16 तुडतुडिया के पास ओलिंग होते हुए भैरु, ओखलधार तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक हेतु चिन्हित जासी सिंगिट स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।


वन प्रशासक
कपकोट वन क्षेत्र
बागेश्वर जव हथौडा
(उत्तराखण्ड)


वन प्रशासक वनाधिकारी
बागेश्वर


प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, बागेश्वर